न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 58/2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/209

प्रार्थी
अशोक कुमार पुत्र हिंगोलाराम,
ब्राह्मण, निवासी–सिलु, तहसील–सांचौर

अप्रार्थीगण
अशोक कुमार पुत्र रमेश कुमार वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 29.08.2025

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 29 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 25.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मुझ प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 24 के संयुक्त खातेदारी के खेत वांके सरहद मौजा सीलू, तहसील–सांचौर में खेत खसरा संख्या 437 रकबा 1.65 हैक्टेयर, खसरा संख्या 438 रकबा 1.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 439 रकबा 0.81 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.54 हैक्टेयर जो मुझ वादी का 1/12 हिस्सा व खसरा संख्या 408 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 409 रकबा 2.20 हैक्टेयर जुमले रकबा 2.21 हैक्टेयर में मुझ वादी का 1/6 हिस्सा व खेत खसरा संख्या 407 रकबा 3.13 हैक्टेयर जिसमें मुझ वादी का 1/6 हिस्सा व खेत खसरा संख्या 418 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 419 रकबा 1.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 420 रकबा 0.78 हैक्टैयर, खसरा संख्या 421 रकबा 0.74 हैक्टैयर, खसरा संख्या 422 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा संख्या 421 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा संख्या 422 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा संख्या 423 रकबा 1 हैक्टैयर, खसरा संख्या 424 रकबा 0.23 हैक्टेयर जुमले रकबा 5.94 हैक्टेयर में मुझ प्रार्थी का 1/24 वां हिस्सा आया हुआ है। उक्त आराजी मुझ प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 24 की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है तथा उक्त आराजी का विधिवत राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा नहीं होने से प्रत्येक खसरान में हम पक्षकारान् का खातेदारी में नाम संयुक्त रूप में दर्ज है किन्तु मौके पर हम पक्षकारान् के काफी वर्षो पूर्व आपसी बंटवाड़ा होकर मौके पर हम पक्षकारान् अलग अलग काश्त काबिज है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी का मुझ प्रार्थी ने आपसी सहमति से भूमि का बंटवाड़ा कर तरमीम करवाने का अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 24 को निवेदन किया किन्तु अप्रार्थी संख्या 8 मफाराम आपसी बंटवाड़ा करने से इंन्कार हो गया। भूमि हम पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की होने से मुझ प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व लोन आदि लेने में समय समय पर अप्रार्थीगण की सहमति की आवश्यकता रहती है, किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 8 व मुझ प्रार्थी के बीच आपसी घरेलू मन मुटाव होने के कारण अप्रार्थी संख्या 8 मुझे नाहक परेशान करने की नियम से सहमति नहीं देता है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि वांके सरहद मौजा सीलू के खेत खसरा संख्या 437 रकबा 1.65 हैक्टेयर, खसरा संख्या 438 रकबा 1.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 439 रकबा 0.81 हैक्टेयर जुमले रकबा

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

3.54 हैक्टेयर जो मुझ वादी का 1/12 हिस्सा व खसरा संख्या 408 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 409 रकबा 2.20 हैक्टेयर जुमले रकबा 2.21 हैक्टेयर में मुझ वादी का 1/6 हिस्सा व खेत खसरा संख्या 407 रकबा 3.13 हैक्टेयर जिसमें मुझ वादी का 1/6 हिस्सा व खेत खसरा संख्या 418 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 419 रकबा 1.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 420 रकबा 0.78 हैक्टैयर, खसरा संख्या 421 रकबा 0.74 हैक्टैयर, खसरा संख्या 422 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा संख्या 421 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा संख्या 422 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा संख्या 423 रकबा 1 हैक्टैयर, खसरा संख्या 424 रकबा 0.23 हैक्टेयर जुमले रकबा 5.94 हैक्टेयर में मुझ प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त वाली भूमि में न तो अप्रार्थीगण स्वयं दखलंदाजी करें तथा न ही अन्य से करावें। उक्त वादग्रस्त आराजी को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक बैचान, रहन, हस्तांतरण वगैरह नहीं करें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा सीलू, तहसील–सांचौर में स्थित खातेदारी खसरा संख्या 437 रकबा 1.65 हैक्टेयर, खसरा संख्या 438 रकबा 1.08 हैक्टेयर, खसरा संख्या 439 रकबा 0.81 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.54 हैक्टेयर व खसरा संख्या 408 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 409 रकबा 2.20 हैक्टेयर जुमले रकबा 2.21 हैक्टेयर, खसरा संख्या 407 रकबा 3.13 हैक्टेयर, खसरा संख्या 418 रकबा 1.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 419 रकबा 1.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 420 रकबा 0.78 हैक्टैयर, खसरा संख्या 421 रकबा 0.74 हैक्टैयर, खसरा संख्या 422 रकबा 1. 09 हैक्टेयर, खसरा संख्या 421 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा संख्या 422 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा संख्या 423 रकबा 1 हैक्टैयर, खसरा संख्या 424 रकबा 0.23 हैक्टेयर जुमले रकबा 5. 94 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनायें रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **25.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)